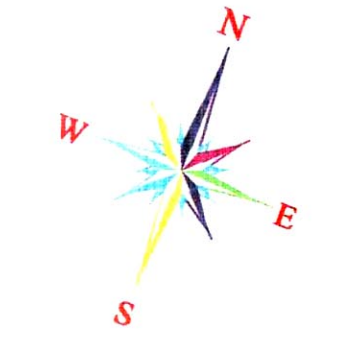
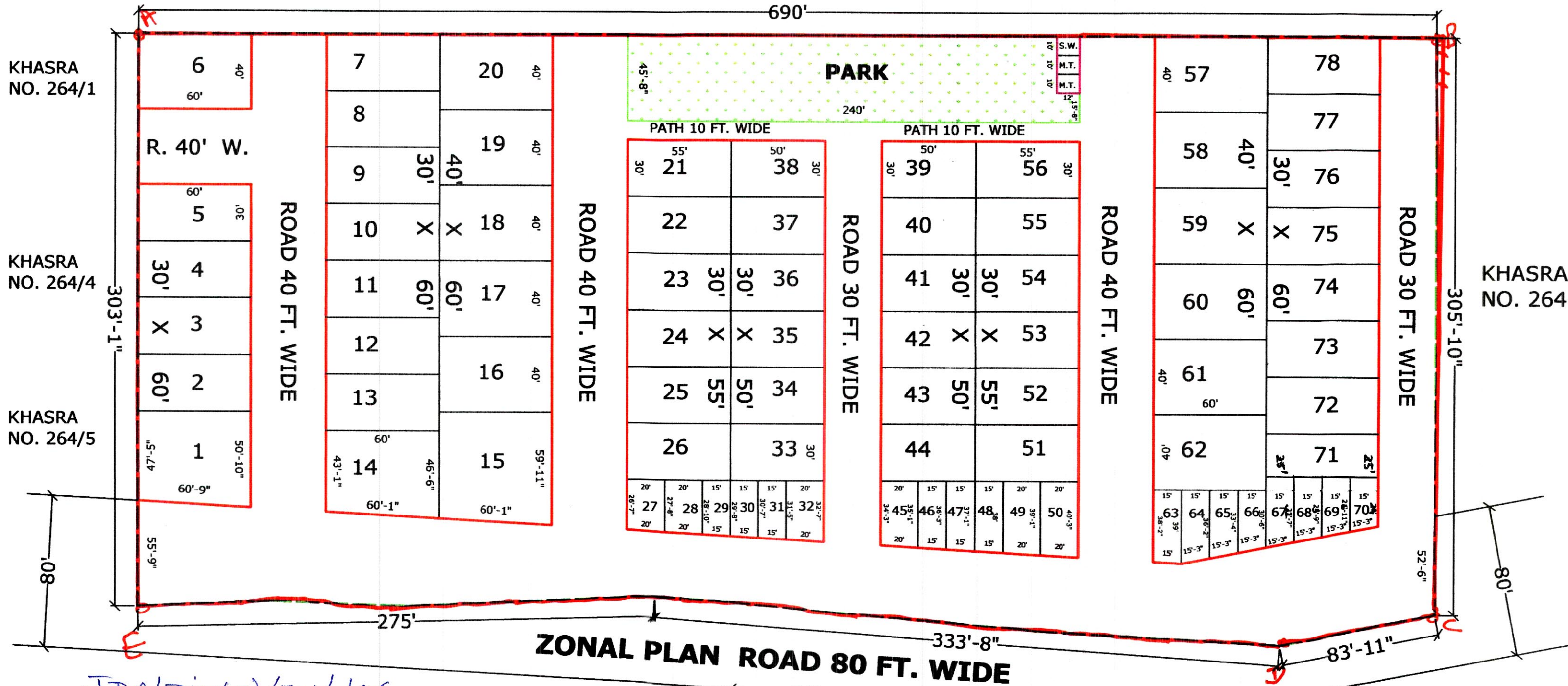


LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 264, 264/2, 264/6 OF VILLAGE NANDRA KALLAN AT JODHPUR

PART OF KHASRA NO. 264

690'



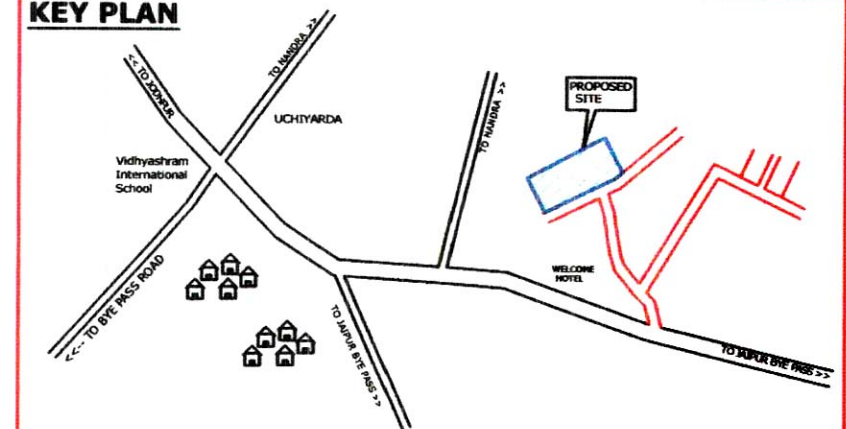
SCALE :- 1"=50'

LAND USES ANALYSIS

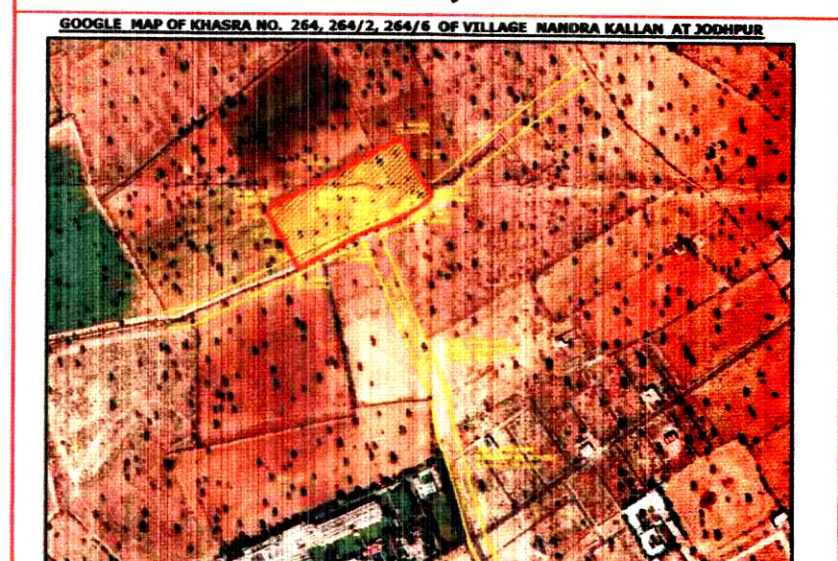
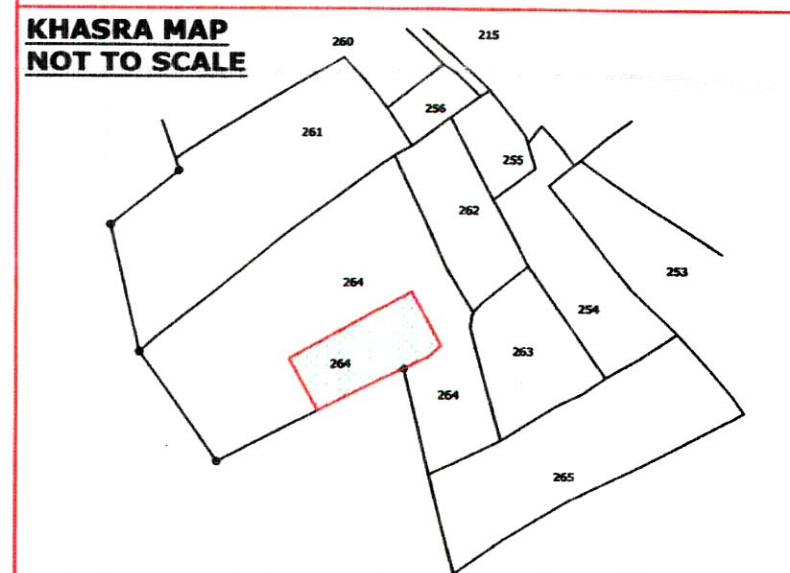
PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
PLOT AREA	13396.27	56.88 %
PARK AREA	1177.60	05.00 %
M.T./S.W.D. AREA	40.00	00.17 %
ROAD AREA	8937.65	37.95 %
TOTAL SCHEME AREA	23551.52	100.00 %

Area in Bigha = 12 Bigha, 03 Bishwa, 6 Bishwansi

KEY PLAN



KHASRA MAP NOT TO SCALE



एजेण्डा संख्या 2 :-

बैठक दिनांक 06.07.2023

जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
जोन-1	नान्दडा कला	264, 264/2, 264/6	12.03.06 बीघा	आवासीय योजना

आवेदक श्री चैताराम पुत्र श्री धनाराम, श्री कमल किशोर पुत्र श्री धनराज

विषय- राजस्व ग्राम नान्दडा कला के खसरा संख्या 264, 264/2, 264/6 रकबा 12.03.06 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बावत।

निर्णय- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- आवेदित भूमि को मौका अनुसार उपलब्ध पहुँच मार्ग 80 फीट सड़क से प्राप्त हो रहा है जो जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित सड़क है। उक्त सड़क कुछ भाग अन्य आवेदारी भूमि में से प्रस्तावित है अतः उक्त सड़क का वह भाग जो आवेदित भूमि से पूर्व कमिटमेंट तक की भूमि में स्थित है उक्त भूमि के संबंधित आवेदारी से रास्ते बाबत सहमति प्राप्त कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
- आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 80 फीट सड़क को योजना मानचित्र में दर्शाया जावे।
- योजना का क्षेत्रफल 2 है 0 से कम है अतः मविध में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोनल उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
- योजना में प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्र को योजना क्षेत्रफल का अधिकतम 2 प्रतिशत ईन्फोर्मल शॉप प्रस्तावित कर शेष आवासीय अथवा सम्पूर्ण व्यवसायिक भूखण्डों को आवासीय भूखण्ड दर्शाये जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।
- नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्राक्कानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावे।
- उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्ररनगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
- प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
- राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाइल टॉवर एवं लोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

ZONAL PLAN ROAD 80' WIDE

दिनांक 28/2/23 को पुनः हस्तक्षेप/पौष्टिक सम्पादित LAYOUT PLAN से प्रस्तुत LAYOUT PLAN का मिलान कर सीमाओं को लाल रंगी से बिन्दु A से E मार्क किया गया।

(प्रवीण कुमार) 17/2/23
निरीक्षक (पू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

24 नवम्बर

सहायक नगर निरीक्षक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

13/2/2024
34 जनरल डिप्टी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

24 नवम्बर
उपायुक्त (जोन-1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

PRITHVI RAJ
JDA/CE No. JDATECH/2021/07
Plot No. 66, Laxmi Vihar
Jodhpur
9950780333